उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ–226001.
CIN:U32201UP1999SGC024928.

संख्या–1377–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2020–3(130)ई0एम0–03 / 2018 **दिनांकः 06 अक्टूबर, 2020**

कार्यालय–ज्ञाप

श्री मुकुन्द मिश्रा (अभिज्ञान सं0–2018130), सहायक अभियन्ता (पी0एम0सी0) उ0प्र0पा0का0लि0, एस0एल0 डी0सी0 परिसर, गोमती नगर, लखनऊ के आश्रित पिता श्री नारायण मिश्रा को कैंसर रोग (Adenocarcinoma Duodenum) के उपचार हेतु, प्रदेश के बाहर, गैर मान्यता प्राप्त, धर्मशिला नारायण सुपर–स्पेशियलिटी हास्पिटल, दिल्ली में भर्ती कराने के लिए प्रस्तुत किये गय अस्पताल के अनुमानित व्यय रू0–5,75,230.00 के सापेक्ष नियमानुसार अनुमन्य धनराशि रू0–3,01,996.00 (रू0–तीन लाख, एक हजार, नौ सौ छियानवे मात्र), का चिकित्सा अग्रिम एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :–

1– उक्त धनराशि का लेखांकन श्री मुकुन्द मिश्रा, सहायक अभियन्ता के अग्रिम भुगतान के रूप में किया जायेगा। उक्त चिकित्सा अग्रिम रू0–3,01,996.00 का भुगतान सम्बन्धित कार्यालय द्वारा सीधे धर्मशिला नारायण सुपर–स्पेशियलिटी हास्पिटल, दिल्ली को किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि का भुगतान, चिकित्सालय को किये जाने से पूर्व सम्बन्धित आहरण व वितरण अधिकारी, श्री मुकुन्द मिश्रा, सहायक अभियन्ता से स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर सहमति / घोषणा पत्र कारपोरेशन, मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

3– स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम की धनराशि के समायोजन हेतु श्री मुकुन्द मिश्रा, सहायक अभियन्ता को अपने आश्रित पिता के चिकित्सालय से अवमुक्त (डिस्चार्ज), होने के पश्चात् 02 माह के भीतर सत्यापित अनिवार्यता प्रमाण–पत्र, कैश मेमो / बाउचर के साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4– यदि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की राशि, इस अग्रिम धनराशि से कम होगी तो अंतर की धनराशि कारपोरेश्न के कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

5– यदि किन्हीं कारणों से इस अग्रिम का आहरण विलम्ब से हो पाता है या सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो श्री मुकुन्द मिश्रा, सहायक अभियन्ता, द्वारा इसके निरस्तीकरण हेतु कारपोरेशन को अतिशीघ्र अवगत कराना होगा।

उपरोक्त परिव्यय, कारपोरेशन के चालू वित्तीय वर्ष के बजट के नामे डाला जायेगा।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या–1377(1)–अधि0प्रब0–03/पाकालि/2020, तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2– उप सचिव, (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

स्पीड–पोस्ट 3– अधिशासी अभियन्ता, पावर मैनेजमेन्ट सेल, एस0एल0डी0सी0, परिसर, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4– लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5– लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

स्पीड–पोस्ट 6– मुकुन्द मिश्रा (2018130), सहायक अभियन्ता, (पी0एम0सी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

आज्ञा से,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)

प्रति :– कट फाइल/कारपोरेशन की बेवसाइट पर अपलोड हेतु।